


**कार्यालय : सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल)**

पत्रांक : उ0वि0शि0प0/वि0प0/ए0आ0आ0वि0/प्र0प0 2025/ 58-65/2024-25 दिनांक-24 जनवरी 2025।

:: विज्ञप्ति ::

**एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी/मेहरावना/बाजपुर/खटीमा प्रवेश परीक्षा (कक्षा-6) 2025**

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी (देहरादून), बाजपुर (उ0सि0नगर), खटीमा (उ0सि0नगर) एवं मेहरावना, चकराता (देहरादून) में सत्र 2025-26 हेतु कक्षा 06 में प्रवेश के लिए राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वर्तमान शिक्षा सत्र 2024-25 में कक्षा-5 में अध्ययनरत, उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति (ST), विमुक्त जनजाति (DNT), घुमन्तू जनजाति (NT), अर्द्ध घुमन्तू जनजाति (SNT) एवं कोविड/वामपंथी अतिवाद (LWE)/Insurgencies में अपने माता-पिता को खोने वाले बालक/बालिका, विधवा माता के बालक/बालिका, दिव्यांग माता-पिता के बालक/बालिका, एकलव्य विद्यालयों के भूमि दानदाता के बालक/बालिका, अनाथ बालक/बालिका, छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप राज्य के समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय, खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी/मेहरावना/बाजपुर/खटीमा के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र एवं परीक्षा सम्बन्धी विस्तृत निर्देश उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) की वेबसाइट [www.ubse.uk.gov.in](http://www.ubse.uk.gov.in) में DEPARTMENTAL EXAM/UTET आईकन पर उपलब्ध हैं, जिसे डाउनलोड करके भी आवेदन किया जा सकता है। अभ्यर्थी की आयु 31 मार्च 2025 को 10 वर्ष से 13 वर्ष के मध्य होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 31 मार्च 2012 से 01 अप्रैल 2015 के मध्य हुआ हो (उक्त दोनों तिथियां सम्मिलित हैं)। दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। छात्र/छात्रा द्वारा पूर्ण रूप से पूरित आवेदन पत्र दिनांक 15 फरवरी 2025 को सायं 5:00 बजे तक "सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, विभागीय परीक्षा अनुभाग, रामनगर (नैनीताल) पिन-244715" के पते पर पंजीकृत डाक से अवश्य पहुँच जाने चाहिए। लिफाफे के बाहर "एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 हेतु आवेदन पत्र" अवश्य लिखा होना चाहिए। प्रवेश परीक्षा माह अप्रैल 2025 के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में करायी जानी प्रस्तावित है।

  
24/01/2025

(वी0 पी0 सिमल्टी)

सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्  
रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक : उ0वि0शि0प0/वि0प0/ए0आ0आ0वि0/प्र0प0 2025/ /2024-25 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि : निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून/सभापति उ0वि0शि0प0, रामनगर नैनीताल।
2. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
3. निदेशक, जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून।
4. सचिव, एकलव्य विद्यालय संगठन समिति, देहरादून एवं संयुक्त निदेशक, जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून।
5. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को परीक्षा विज्ञप्ति, आवेदन-पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत निर्देश इस आशय से प्रेषित कि आप अपने जनपद में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक अर्ह छात्र-छात्राओं को परीक्षा में प्रतिभाग करवाने का कष्ट करें।
6. समस्त खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को परीक्षा विज्ञप्ति, आवेदन-पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत निर्देश इस आशय से प्रेषित कि आप अपने विकासखण्ड में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक अर्ह छात्र-छात्राओं को परीक्षा में प्रतिभाग करवाने का कष्ट करें।
7. प्राचार्य, ए0आ0आ0वि0 कालसी/बाजपुर/खटीमा/मेहरावना (चकराता)।
8. सम्पादक दैनिक अमर उजाला, दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के उस पृष्ठ पर 10x10 वर्ग सेमी0 में न्यूनतम शासकीय दरों पर प्रकाशित करें जिसका प्रचार प्रसार पूरे राज्य में हो। विज्ञप्ति प्रकाशन के पश्चात समाचार पत्र की प्रति के साथ बिल दो प्रतियों में जिला सूचना अधिकारी से सत्यापित कराने के बाद भुगतान हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

  
24/01/2025

सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्  
रामनगर (नैनीताल)।



## उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक उ0वि0शि0प0/वि0प0/ए0आ0आ0वि0प्र0प0 2025/57/2024-25 दिनांक 24 जनवरी 2025  
एकलव्य आवासीय विद्यालय कालसी(देहरादून), बाजपुर(उ0सि0 नगर), खटीमा (उ0सि0 नगर) एवं  
मेहरावना, चकराता (देहरादून), प्रवेश परीक्षा (कक्षा 6)-2025  
:: विज्ञप्ति ::

निदेशक, जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक C-160  
/ज0जा0क0/ई0एम0आर0एस0/प्रवेश परीक्षा-25/2024-25, दिनांक 02 जनवरी 2025 के क्रम में एकलव्य आदर्श  
आवासीय विद्यालय कालसी (देहरादून), मेहरावना (देहरादून), बाजपुर (उ0सि0नगर) एवं खटीमा (उ0सि0नगर) में सत्र  
2025-26 हेतु कक्षा 06 में प्रवेश हेतु राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वर्तमान सत्र 2024-25 में  
कक्षा 05 में अध्ययनरत (उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति (ST), विमुक्त जनजाति (DNT), घुमन्तू जनजाति  
(NT), अर्ध घुमन्तू जनजाति (SNT), एवं कोविड/वामपंथी अतिवाद (LWE)/Insurgencies में अपने माता-पिता  
को खोने वाले बालक/बालिका, विधवा माता के बालक/बालिका, दिव्यांग माता-पिता के बालक/बालिका, एकलव्य  
विद्यालयों के भूमि दानदाता के बालक/बालिका) छात्र-छात्राओं से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं।  
उक्त विद्यालयों में कक्षा 06 से कक्षा 12 तक अनिवार्य आवासीय व्यवस्था के साथ-साथ निःशुल्क उच्च स्तरीय  
विद्यालयी सह शिक्षा हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम से प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इन विद्यालयों में कक्षा 06 में  
प्रवेश हेतु कुल 60 सीटों पर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से निम्न विवरणानुसार छात्र-छात्राओं को चयनित किया जाना  
है।

• वर्गवार विद्यालयों में उपलब्ध स्थानों (सीटों) का आरक्षणवार विवरण:-

क्र0 स0	वर्ग/श्रेणी	विद्यालयवार उपलब्ध स्थानों (सीटों) का विवरण			
		ए0आ0आ0वि0 कालसी (देहरादून)	ए0आ0आ0वि0 मेहरावना (देहरादून)	ए0आ0आ0वि0 बाजपुर (उ0सि0नगर)	ए0आ0आ0वि0 खटीमा (उ0सि0नगर)
1	अनुसूचित जनजाति (ST)	48	48	48	48
2	विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (PVTGs) (बुक्सा एवं राजी जनजाति हेतु)	3	3	3	3
3	विमुक्त जनजाति (DNT), घुमन्तू जनजाति (NT), अर्ध घुमन्तू जनजाति (SNT) के बालक/बालिका	3	3	3	3
4	कोविड/वामपंथी अतिवाद (LWE)/Insurgencies में अपने माता-पिता को खोने वाले बालक/बालिका, विधवा माता के बालक/बालिका, दिव्यांग माता-पिता के बालक/बालिका	4	4	4	4
5	एकलव्य विद्यालयों के भूमि दानदाता के बालक/बालिका	2	2	2	2
	योग	60	60	60	60

- उक्त तालिका के क्र0सं0 1, क्र0सं0 4 एवं क्र0सं0 5 में अंकित वर्ग/श्रेणी में बालक-बालिका हेतु 50-50 प्रतिशत (अर्थात् क्रमशः 24-24, 02-02 एवं 01-01) स्थान (सीटें) आरक्षित होंगे। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बालक-बालिका वर्ग में पृथक-पृथक चयन किया जायेगा।
- उक्त तालिका के क्र0सं0 2 एवं क्र0सं0 3 में अंकित वर्ग/श्रेणी में प्रवेश मैरिट (प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों) के आधार पर प्रदान किया जायेगा।

3. उक्त तालिका के क्र०सं० 5 में अंकित "एकलव्य विद्यालयों के भूमि दानदाता के बालक/बालिका" श्रेणी में उसी विद्यालय में आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा जिसके निर्माण हेतु उनके माता-पिता द्वारा भूमि दान की गई हो। अतः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि इस श्रेणी के अंतर्गत वे अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके माता-पिता द्वारा एकलव्य विद्यालय हेतु भूमि दान दी गयी हो।

4. प्रत्येक विद्यालय हेतु कुल निर्धारित 60 सीटों में सर्वप्रथम ब्लॉक, तत्पश्चात् जनपद एवं राज्य के आधार पर मैरिट तैयार की जायेगी। अतः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र में अपने स्थाई निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ब्लॉक, जनपद एवं राज्य की अंकना करें।

5. अभ्यर्थी द्वारा उक्त तालिका में अंकित चारों विद्यालयों में से अपनी इच्छानुसार प्रवेश हेतु अपनी वरीयता आवेदन पत्र में भरी जायेगी। प्रवेश, मैरिट (प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों) एवं विद्यालय की वरीयता के आधार पर प्रदान किया जायेगा।

प्रवेश हेतु पात्रता :-

1. शैक्षिक अर्हता :

क. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वर्तमान सत्र 2024-25 में कक्षा 05 में अध्ययनरत (उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति (ST), विमुक्त जनजाति (DNT), घुमन्तू जनजाति (NT), अर्द्ध घुमन्तू जनजाति (SNT), एवं कोविड/वामपंथी अतिवाद (LWE)/Insurgencies में अपने माता-पिता को खोने वाले बालक/बालिका, विधवा माता के बालक/बालिका, दिव्यांग माता-पिता के बालक/बालिका तथा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के निर्माण हेतु भूमि दानदाता के बालक/बालिका, कक्षा 06 में प्रवेश के लिये प्रवेश परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह होंगे। कक्षा 05 की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके बालक-बालिका इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं हैं अतः वे आवेदन न करें। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी शैक्षिक विवरण का सत्यापन अपने उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका से करायेंगे जहाँ वह वर्तमान शिक्षा सत्र में कक्षा 05 में अध्ययनरत है।

ख. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (NIOS) से 31 मार्च 2025 तक या उससे पूर्व 'ब' प्रमाण पत्र दक्षता उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी प्रवेश परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे अगर वे निर्धारित आयु सीमा (31 मार्च 2025 को अभ्यर्थी की आयु 10 वर्ष से 13 वर्ष के मध्य) में हों। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी शैक्षिक विवरण का सत्यापन अपने उस केन्द्र/संस्था के प्रभारी से करायेंगे जहाँ से उनके द्वारा प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है।

ग. गृह शिक्षा ग्रहण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी (जिन्होंने किसी औपचारिक विद्यालय से शिक्षा ग्रहण न की हो) भी प्रवेश परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे अगर वे निर्धारित आयु सीमा (31 मार्च 2025 को अभ्यर्थी की आयु 10 से 13 वर्ष के मध्य) में हों। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी के माता/पिता/अभिभावक द्वारा आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उनकी जन्मतिथि (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाणपत्रानुसार) एवं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक दक्षताएं पूर्ण करने विषयक घोषणा भी करनी होगी।

2. आयु सीमा : अभ्यर्थी की आयु 31 मार्च 2025 को 10 वर्ष से 13 वर्ष के मध्य होनी चाहिये अर्थात् उसका जन्म 31 मार्च 2012 से 01 अप्रैल 2015 के मध्य हुआ हो (उक्त दोनों तिथियां सम्मिलित हैं)। दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थी के अध्ययनरत विद्यालय अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।

3. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।

4. अभ्यर्थी जिस श्रेणी के लिये आवेदन करेगा उस श्रेणी का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र अभ्यर्थी के पास अनिवार्यतः उपलब्ध हो। प्रवेश के समय चयनित अभ्यर्थी को, आरक्षण (जिस श्रेणी में वह चयनित होता है) का लाभ



प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित श्रेणी का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

5. राज्य की विमुक्त जनजाति (DNT), घुमन्तू जनजाति (NT), अर्द्ध घुमन्तू जनजाति (SNT), के बालक/बालिका भी इस प्रवेश परीक्षा में उनके लिये इस श्रेणी में उपलब्ध स्थानों (सीटों) के सापेक्ष आवेदन कर सकेंगे।

6. कोविड/वामपंथी अतिवाद (LWE)/Insurgencies में अपने माता-पिता को खोने वाले बालक/बालिका, विधवा माता के बालक/बालिका, दिव्यांग माता-पिता के बालक/बालिका, एकलव्य विद्यालयों के भूमि दानदाता के बालक/बालिका एवं अनाथ बालक/बालिका श्रेणी में राज्य के अन्य वर्गों (सामान्य/अनु0जाति/अ0पि0वर्ग) के बालक/बालिका भी इस प्रवेश परीक्षा में उनके लिये इस श्रेणी में उपलब्ध स्थानों (सीटों) के सापेक्ष आवेदन कर सकेंगे।

7. आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को ए0आ0आ0वि0 कालसी (देहरादून) अथवा ए0आ0आ0वि0 मेहरावना (देहरादून) अथवा ए0आ0आ0वि0 बाजपुर (उ0सि0नगर) अथवा ए0आ0आ0वि0 खटीमा (उ0सि0नगर) में से प्रवेश हेतु अपनी वरीयताक्रमानुसार विद्यालयों के नाम (जहाँ कक्षा 6 में प्रवेश हेतु इच्छुक हो) अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। चयन हेतु उसका अभ्यर्थन केवल उन्हीं विद्यालयों हेतु मान्य होगा जिनका चयन आवेदन पत्र में किया गया होगा। विद्यालयों का चयन न करने पर अभ्यर्थी की योग्यतानुसार कोई भी विद्यालय आवंटित कर दिया जायेगा एवं विद्यालय परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित सूचना के आधार पर उसे औपबन्धिक रूप से परीक्षा में सम्मिलित करा लिया जायेगा परन्तु चयन होने की स्थिति में काउंसिलिंग के समय आवेदन पत्र में भरी गयी कोई सूचना असत्य/गलत पाये जाने अथवा प्रमाण प्रस्तुत न किये जाने पर चयन निरस्त कर दिया जायेगा। गलत तथ्य/सूचना प्रस्तुत करने के कारण अभ्यर्थी के माता/पिता/संरक्षक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है। अतः अपने पाल्य के अभ्यर्थन की भली-भाँति जाँच कर परीक्षा आवेदन पत्र में सही सूचना अंकित करें।

9. प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन होने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसके द्वारा चयनित विद्यालयों में से किसी एक विद्यालय में उसकी मैरिट के आधार पर प्रवेश तभी दिया जायेगा जब वह सत्र 2024-25 में कक्षा 5 में अध्ययनरत अथवा 'ब' प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण होने के प्रमाणपत्र सहित अपने समस्त मूल प्रमाणपत्र (यथा जाति, निवास, जन्म/श्रेणी प्रमाण पत्र आदि) काउंसिलिंग के समय सम्बन्धित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य के समक्ष प्रस्तुत करेगा। कोई भी तथ्य/सूचना या प्रमाण पत्र असत्य/गलत पाये जाने या प्रस्तुत न करने पर चयन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

10. विद्यालयों में भौतिक/बुनियादी सुविधाओं अथवा अन्य किसी कारण से विद्यालय का संचालन वर्तमान संचालन स्थल से भिन्न किसी अन्य स्थान पर हो सकता है। अतः इस सम्बन्ध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

11. विद्यालय भवन का निर्माण होने तक ए0आ0आ0वि0 बाजपुर (उधमसिंहनगर) के लिये कक्षा 6 में चयनित होने वाले छात्र-छात्राओं की कक्षाएं ए0आ0आ0वि0 खटीमा (उधमसिंहनगर) एवं इसी प्रकार ए0आ0आ0वि0 मेहरावना (देहरादून) के लिये कक्षा 6 में चयनित होने वाले छात्र-छात्राओं की कक्षाएं राज्य जनजाति शोध संस्थान उत्तराखण्ड देहरादून/किराए के भवन में संचालित की जाएंगी। सहमत होने पर ही आवेदन करें।

• आवेदन पत्र :

आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रतियां समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य सम्बन्धित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों तथा निकटतम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के प्रधानाचार्य कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। आवेदन पत्र उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर नैनीताल की वेबसाइट [www.ubse.uk.gov.in](http://www.ubse.uk.gov.in) के DEPARTMENTAL EXAM/UTET आइकन से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

• परीक्षा केन्द्र :

परीक्षा हेतु निम्न 24 केन्द्र प्रस्तावित हैं। परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी को वरीयता क्रम में 03 परीक्षा केन्द्रों के नाम अंकित करने होंगे। यथासंभव परीक्षार्थी को प्रथम वरीयता वाला परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जायेगा। किन्तु प्रथम वरीयता वाले केन्द्र पर परीक्षार्थियों की संख्या 10 से कम होने पर द्वितीय या तृतीय परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। वरीयता क्रम में अंकित किये गये परीक्षा केन्द्रों में परीक्षार्थियों की संख्या 10 से कम होने पर अन्य निकटतम परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा निम्नवत् परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जानी प्रस्तावित है—

क्र०सं०	प्रस्तावित केन्द्र का विवरण		
	कोड	नाम	जनपद
01	101	राजकीय आश्रम पद्धति बालक विद्यालय लालढांग हरिद्वार	हरिद्वार
02	102	राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरिपुर कालसी	देहरादून
03	103	राजकीय इण्टर कालेज कालसी	देहरादून
04	104	राजकीय बालिका इण्टर कालेज हरिपुर कालसी	देहरादून
05	105	कैण्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चकराता	देहरादून
06	106	राजकीय इण्टर कालेज त्यूनी वि०ख० चकराता	देहरादून
07	107	रा०इ०का० सभावाला, वि०ख० विकास नगर	देहरादून
08	108	रा०इ०का० डाकपत्थर, वि०ख० विकास नगर	देहरादून
09	109	राजकीय बालिका इण्टर कालेज उत्तरकाशी	उत्तरकाशी
10	110	राजकीय बालिका इण्टर कालेज पुरोला	उत्तरकाशी
11	111	राजकीय इण्टर कालेज डुण्डा	उत्तरकाशी
12	112	राजकीय इण्टर कालेज कण्वघाटी (किशनपुरी)	पौड़ी
13	113	राजकीय इण्टर कालेज जोशीमठ	चमोली
14	114	राजकीय इण्टर कालेज नन्दानगर (घाट)	चमोली
15	115	राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलुवाकोट	पिथौरागढ़
16	116	राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुनस्यारी	पिथौरागढ़
17	117	एस०डी०एस० राजकीय इण्टर कालेज पिथौरागढ़	पिथौरागढ़
18	118	अ०उ० राजकीय इण्टर कालेज डीडीहाट	पिथौरागढ़
19	119	राजकीय इण्टर कालेज लोहाघाट	चम्पावत
20	120	राजकीय इण्टर कालेज दिनेशपुर	ऊधमसिंह नगर
21	121	राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खटीमा	ऊधमसिंह नगर
22	122	राजकीय थारू इण्टर कालेज खटीमा	ऊधमसिंह नगर
23	123	राजकीय इण्टर कालेज सितारगंज	ऊधमसिंह नगर
24	124	इण्टर कालेज बाजपुर	ऊधमसिंह नगर

• आवेदन की अंतिम तिथि :-

दिनांक 15 फरवरी 2025 को सायं 5:00 बजे तक पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र "सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, विभागीय परीक्षा अनुभाग, रामनगर (नैनीताल) पिन-244715" के पते पर पंजीकृत डाक से अवश्य पहुँच जाने चाहिए। लिफाफे के बाहर "एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 हेतु आवेदन पत्र" अवश्य लिखा जाय। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त एवं अपूर्ण रूप से भरे गये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र, निर्धारित अन्तिम तिथि तक सभी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के साथ ही राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लाखामण्डल बिन्सौण (देहरादून), राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुनस्यारी (पिथौरागढ़), राजकीय आश्रम पद्धति बालक विद्यालय लालढांग (हरिद्वार),



राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ज्योतिमठ (चमोली), राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गदरपुर (ऊधमसिंह नगर) में भी जमा कर सकते हैं।

• परीक्षा तिथि :

प्रवेश परीक्षा माह अप्रैल 2025 प्रथम/द्वितीय सप्ताह में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक प्रस्तावित है। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र साधारण डाक से अभ्यर्थियों के पत्र व्यवहार के पते पर माह मार्च 2025 अंतिम सप्ताह तक उपलब्ध कराए जाएंगे जिसमें परीक्षा तिथि/समय एवं परीक्षा केन्द्र का नाम अंकित होगा।

परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र के साथ आवेदक को अपनी पहचान के रूप में कोई फोटोयुक्त पहचानपत्र (आई0डी0) (आधार कार्ड/बैंक पास-बुक/विद्यालय का परिचय पत्र) भी अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। परीक्षा प्रारम्भ होने के 30 मिनट पश्चात् किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा-कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। विलम्ब हेतु परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

यदि किसी अर्ह अभ्यर्थी को किसी कारण से प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता है तो वह परीक्षा से एक दिन पूर्व, परिषद् की वेबसाइट पर प्रदर्शित अभ्यर्थी का विवरण यथा नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र आदि का अवलोकन कर आवंटित परीक्षा केन्द्र में जाकर भी प्रवेश पत्र प्राप्त कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। इस हेतु उसे परीक्षा केन्द्र पर अपना फोटो एवं पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

• परीक्षा योजना :- प्रवेश परीक्षा की अवधि 2 घण्टे होगी, प्रश्न पत्र में तीन खण्ड निम्नवत् होंगे :-

खण्ड	विषय वस्तु/खण्ड	प्रश्नों की संख्या	निर्धारित अंक
(क)	मानसिक योग्यता परीक्षा	50	50
(ख)	गणित परीक्षा	25	25
(ग)	भाषा (हिन्दी) परीक्षा	25	25
कुल प्रश्नों की संख्या		100	100

1. प्रश्न पत्र में उक्तवत् कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रवेश परीक्षा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा। खण्ड (ग) भाषा (हिन्दी) को छोड़कर अन्य भाग (खण्ड 'क' एवं खण्ड 'ख') हिन्दी एवं अंग्रेजी में होंगे।
2. परीक्षा की अवधि दो घण्टे होगी। दिव्यांग परीक्षार्थियों को नियमानुसार प्रतिपूरक समय दिया जा सकेगा।
3. प्रश्नों का स्तर प्राथमिक स्तर (कक्षा 5 तक के स्तर) के समान होगा।
4. प्रश्नों का उत्तर देने हेतु ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक का प्रयोग किया जायेगा। परीक्षार्थी इसका अभ्यास कर लें। प्रश्न के सामने दिये गये चार विकल्पों (A,B,C,D) में से सही विकल्प के गोले को काला करना है। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में उत्तर अंकित करने के लिये परीक्षार्थी केवल काली/नीली बॉल प्वाइंट पेन का ही प्रयोग कर सकेंगे।
5. प्रत्येक सही उत्तर पर एक अंक देय होगा। एक से अधिक विकल्प पर गोला करने अथवा प्रश्न का उत्तर अंकित न करने पर कोई अंक देय नहीं होगा। गलत उत्तर के लिये कोई अंक नहीं काटा जायेगा।
6. परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल, किसी भी प्रकार की इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों, मुद्रित या लिखित पाठ्य सामग्री को लाना/ प्रयोग करना वर्जित है।
7. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक को कक्ष निरीक्षक के पास जमा करना होगा। प्रश्नपुस्तिका को परीक्षार्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

• मूल्यांकन प्रणाली : परीक्षाफल एवं योग्यता सूची निर्माण की प्रक्रिया :

परीक्षा सम्पन्न होने के बाद परिषद् द्वारा औपबन्धिक उत्तर-कुंजी (Provisional Answer Key) परिषद् की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। यदि किसी परीक्षार्थी को परिषद् द्वारा जारी उत्तर-कुंजी (Answer Key) के किसी उत्तर पर आपत्ति होगी तो वह परिषद् को निर्धारित अवधि के अंतर्गत सप्रमाण दावा/आपत्ति कर सकता है। बिना प्रमाण एवं निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जायगा तथा उसे अमान्य किया जायेगा। प्राप्त दावा/आपत्ति का विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण कर निराकरण किया जायेगा। दावा/आपत्ति सही पाये जाने पर परिषद् द्वारा जारी उत्तर-कुंजी (Answer Key) में तदनुसार आवश्यक संशोधन या निरसन के पश्चात् अंतिम


उत्तर-कुंजी (Final Answer Key) तैयार कर परीक्षाफल का निर्माण किया जायेगा। परिषद् द्वारा जारी अंतिम उत्तर-कुंजी (Final Answer Key) पर किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगा।

1. ओ0एम0आर0 उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) की स्केनिंग एवं आपत्ति निराकरण के उपरान्त अंतिम उत्तर-कुंजी (Final Answer Key) के आधार पर परिषद् द्वारा परीक्षाफल तैयार कर घोषित किया जायेगा।
  2. ओ0एम0आर0 उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) का मूल्यांकन मशीन से किया जाता है, अतः ओ0एम0आर0 उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) की पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा। पुनर्मूल्यांकन एवं सन्निरीक्षा (स्क्रूटनी) हेतु कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
  3. अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर राज्य स्तर पर प्रत्येक विद्यालय हेतु निर्धारित आरक्षणवार पृथक-पृथक चयन/योग्यता सूची तैयार की जायेगी। परीक्षार्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में योग्यता सूची तैयार की जायेगी। योग्यता सूची तैयार करते समय यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में (i) अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रवीणता क्रम में ऊपर रखा जायेगा, यदि आयु भी बराबर है तो (ii) आयु बराबर होने पर उनके नाम हिन्दी वर्णमाला क्रमानुसार पहले आने वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जायेगा।
  4. ओ0एम0आर0 उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) सहित परीक्षा के अभिलेख परीक्षा आयोजन तिथि से एक वर्ष की अवधि तक संरक्षित रखे जायेंगे एवं तत्पश्चात् इन्हें विनष्ट (वीड आउट) कर दिया जायेगा।
- विद्यालयों में उपलब्ध स्थानों (सीटों) का आरक्षणवार विवरण तालिका में अंकित किसी भी वर्ग/श्रेणी में अर्ह अभ्यर्थी न मिलने पर रिक्त स्थानों (सीटों) पर निदेशक जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक C-160 /ज0जा0क0/ई0एम0आर0एस0/प्रवेश परीक्षा-25/2024-25, दिनांक 02 जनवरी 2025 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चयन की कार्यवाही की जायेगी।

• अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :

1. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित सूचना के आधार पर अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित कराया जायेगा। परीक्षा के उपरान्त चयन/योग्यता सूची में आने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता की जाँच सम्बन्धित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा की जायेगी। किसी सूचना या तथ्य के त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए सम्बन्धित के माता/पिता/अभिभावक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का अन्य कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रम/तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है, यदि ऐसा होता है तो इसकी सूचना समाचार पत्रों एवं विभागीय वेबसाइट के माध्यम से परीक्षार्थियों को उपलब्ध करायी जायेगी।
3. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी को केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिये दूरभाष नं0 05947-254275 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
5. परिषद् के साथ पत्र व्यवहार हेतु पता निम्नवत् है-

सचिव,  
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्  
(विभागीय परीक्षा अनुभाग),  
पो0ऑ0 रामनगर (नैनीताल) पिन : 244715

  
24/01/2025  
सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्  
रामनगर (नैनीताल)





मोबाइल न0/दूरभाष न0 कोड सहित - .....

8. परीक्षा केन्द्र का नाम जहां पर अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है -

1.....2 ..... 3.....

9. वर्तमान शैक्षिक सत्र 2024-25 में कक्षा 05 में अध्ययनरत अथवा NIOS के "ब" प्रमाण पत्र परीक्षा में पंजीकृत हैं, उस विद्यालय/संस्था का नाम : .....

### विद्यालय/संस्था के प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र

(जहाँ छात्र/छात्रा वर्तमान सत्र 2024-25 में अध्ययनरत अथवा NIOS के 'ब' प्रमाणपत्र में पंजीकृत है, उस संस्था के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा)।

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा .....वर्तमान में इस विद्यालय/संस्था में कक्षा 5 में अध्ययनरत/NIOS के 'ब' प्रमाण पत्र में पंजीकृत है। इनके द्वारा आवेदन पत्र में अंकित सम्पूर्ण प्रविष्टियों की जाँच भली-भाँति कर ली गई है। विद्यालय/संस्था के अभिलेखानुसार इन्हें सत्यापित किया जाता है।

प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका के हस्ताक्षर मुहर सहित

### गृह शिक्षा प्राप्त करने वाले आवेदकों के लिए घोषणा पत्र

मैं .....माता/पिता/संरक्षक.....(पाल्य का नाम) शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पाल्य की जन्म तिथि (अंकों में.....) (शब्दों में ..... ) (जन्म प्रमाणपत्रानुसार) है।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पाल्य .....(पाल्य का नाम) ने किसी भी विद्यालय में औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की है। उसके द्वारा शिक्षा घर पर ही ग्रहण की गयी है। मेरा पाल्य कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आयोजित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 में भाग लेने हेतु केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक दक्षताएं पूर्ण करता है।

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर .....

### घोषणा

मैं .....माता/पिता/संरक्षक.....(पाल्य का नाम) शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आयोजित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 से सम्बन्धित नियमों एवं निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लिया है। मेरा पाल्य इस परीक्षा में सम्मिलित होने की समस्त अर्हताएं पूर्ण करता है। आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचनाएं सत्य हैं। जिस श्रेणी में मेरे पाल्य द्वारा आवेदन किया गया है उससे सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मेरे पास उपलब्ध है। प्रवेश के समय आवेदन में अंकित किसी भी सूचना के असत्य पाये जाने की स्थिति अथवा सम्बन्धित प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर सकने की स्थिति में, मेरे पाल्य का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा और इस सम्बन्ध में मेरा कोई दावा मान्य नहीं होगा।

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर .....

नाम : .....


परीक्षार्थी के साथ सम्बन्ध : .....

स्थान : .....

दिनांक : .....

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)  
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी, बाजपुर, खटीमा एवं मेहरावना (चकराता)  
प्रवेश परीक्षा (कक्षा-06) 2025  
सत्यापन-प्रपत्र

1. अनुक्रमांक (परिषद् कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) -
1. जनपद का नाम-.....
2. विकास खण्ड का नाम- .....
3. छात्र/छात्रा का नाम- .....
5. पिता का नाम -श्री .....
4. माता का नाम - श्रीमती.....



7. जन्मतिथि - (क) अंकों में
- (ख) शब्दों में .....

(अभ्यर्थी का जन्म 31 मार्च 2012 से 01 अप्रैल 2015 के मध्य होना चाहिए, इसमें दोनों तिथियां सम्मिलित है। दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।)

8. परीक्षा केन्द्र का नाम, .....

(परिषद् कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

परीक्षा की तिथि - .....

समय - प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षाकाल में) ..... कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर .....

**उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)**  
**एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा-2025**  
**प्रवेश-पत्र**

अनुक्रमांक

परीक्षार्थी का नाम				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> नवीनतम पासपोर्ट  आकार का रंगीन  फोटो (छात्र/छात्रा  द्वारा स्वप्रमाणित </div>
पिता का नाम				
जन्मतिथि (अंकों एवं शब्दों में)				
लिंग	जनजाति	दिव्यांगता हाँ / नहीं		
परीक्षा तिथि/दिन एवं समय				<b>प्रातः 10:00 बजे से</b> <b>अपराह्न 12:00 बजे तक</b>
परीक्षा केन्द्र, का नाम				
परीक्षार्थी के हस्ताक्षर	कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर	सचिव के हस्ताक्षर		

नोट : अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि/दिन तथा परीक्षा केन्द्र, का नाम, परिषद् कार्यालय द्वारा भरा जाएगा।